UPSM010029932026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), शामली ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1138/2026

अमरीश गुप्ता पुत्र आत्माराम, निवासी मोहल्ला शिवपुरी, कस्बा ऊन, थाना झिंझाना, जिला शामली।

------- आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

----------**विपक्षी।**

मु०अ०सं०–346/2026,
धारा–75(2),351(2),333 बी.एन.एस.व
9m/10 पोक्सो अधिनियम
थाना–झिंझाना, जिला शामली।

दिनांक–23.07.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **अमरीश गुप्ता पुत्र आत्माराम** की ओर से बजरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के भाई व पैरोकार रमेशचन्द गुप्ता पुत्र आत्माराम का शपथ पत्र संलग्न किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में ये आधार लिये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने वादिया मुकदमा की पुत्री के साथ कोई गलत हरकत नहीं की है। वास्तविकता यह है कि आवेदक/अभियुक्त के वादिया मुकदमा के भाई पर पैसे उधार थे, जिन्हें मांगने पर उनके बीच कहासुनी हो गयी। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं दर्शाया गया है। अपराध उक्त में सात वर्ष से कम के दण्ड का प्रावधान है। आवेदक /अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 11.07.2026 से जेल में बन्द है। इसके अतिरिक्त जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में नाबालिग पीड़िता के परिवारीजन के द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जानबूझकर झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची गयी है। विद्वान अधिवक्ता आवेदक/अभियुक्त ने उसके किसी भी प्रकार का आपराधिक इतिहास न होने का कथन किया। नाबालिग पीड़िता के दौरान विवेचना दर्ज बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में घोर विरोधाभाष की ओर इंगित करते हुए विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया कि दिनांक 12.07.2026 को रविवार का दिन था तथा इस दिन किसी भी स्कूल के खुलने की कोई सम्भावना किसी भी प्रकार से नहीं होती है, परन्तु नाबालिग पीड़िता के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में दिनांक 12.07.2026 को उसके द्वारा मामा की लड़की को लंच देने स्कूल में जाने का कथन किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि नाबालिग पीड़िता के द्वारा न्यायालय में विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष भी जानबूझकर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध झूठा बयान दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त वरिष्ठ नागरिक है तथा बीमार रहता है, जिसके संबंध में जमानत प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त के इलाज से संबंधित

कुछ प्रपत्रों की छायाप्रति भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

3. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा घोर आपत्ति की गई एवं कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय नाबालिग पीड़िता मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आयी। नाबालिग पीड़िता ने आवेदक/अभियुक्त के द्वारा उसके साथ किये गये कृत्य का कथन किया गया। नाबालिग पीड़िता ने अपनी उम्र 11 वर्ष बतायी।

4. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा की पुत्री पीड़िता उसके साथ मायके अपने नाना के यहाँ पर आई हुई थी, जो अमरीश गुप्ता की दुकान पर इमली लेने गयी थी। अमरीश गुप्ता ने बच्ची को टॉफी का लालच देकर कमरे में ले जाकर गाल पर किस किया है व बच्ची को धमकी दी है कि यह बात अगर किसी को बतायी तो अच्छा नहीं होगा। यह पूरी घटना दिनांक 11.07.2026 सुबह 10.00 बजे के करीब की है। बच्ची की उम्र करीब 11 वर्ष है। वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर अभियुक्त अमरीश गुप्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 75, 351(2), 333 बी.एन.एस.व 9m/10 पोक्सो अधिनियम दर्ज की गयी।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 11 वर्ष के साथ अश्लील हरकत करने तथा उस पर लैंगिक हमला करने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता की चिकित्सीय आख्या दिनांकित 11.07.2026 के अनुसार नाबालिग पीड़िता के शरीर पर कुल तीन चोटें पायी गयी हैं, जिनमें से चोट संख्या एक चेहरे के बायीं तरफ दांत के काटने की पायी गयी है, जो प्राथमिक रूप से नाबालिग पीड़िता के द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में लगाये गये आरोपों के सन्दर्भ में सही प्रतीत होते हैं। प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है तथा महज इस आधार पर कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गए आरोपों में अधिकत सजा सात वर्ष की है, के आधार पर इस स्तर पर प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, जबकि नाबालिग पीड़िता की उम्र महज 11 वर्ष के आसपास पायी गयी है।

उपरोक्त दशा में अपराध की प्रकृति, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर यह न्यायालय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं पाता है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अमरीश गुप्ता पुत्र आत्माराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–23.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)
शामली।